

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 496]

भोपाल, रविवार, दिनांक 27 दिसम्बर 2020—पौष 6, शक 1942

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय

भोपाल, दिनांक 27 दिसम्बर 2020 (पौष 6, 1942)

क्र. 13113-मप्रविस-15-विधान-2020.—राज्यपाल महोदया का निम्नलिखित आदेश, दिनांक 27 दिसम्बर, 2020 सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है:—

“भारत के संविधान के अनुच्छेद 174 के खण्ड (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, आनंदीबेन पटेल, राज्यपाल, मध्यप्रदेश एतद्द्वारा दिनांक 27 नवम्बर, 2020 के मध्यप्रदेश राजपत्र असाधारण में प्रकाशित विधान सभा सचिवालय, मध्यप्रदेश की अधिसूचना क्रमांक 11422/मप्रविस-15/विधान/2020, दिनांक 27 नवम्बर, 2020 को, जिसके द्वारा मध्यप्रदेश विधान सभा को दिसम्बर, 2020 के सत्र के लिए सोमवार, दिनांक 28 दिसम्बर, 2020 को पूर्वाह्न 11.00 बजे भोपाल में समवेत् होने के लिये आहूत किया गया था, निरस्त करती हूँ.

भोपाल :
दिनांक 27 दिसम्बर, 2020

आनंदीबेन पटेल
राज्यपाल,
मध्यप्रदेश.”

ए. पी. सिंह
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.